प्रफुल कुमार सिंह
**Praful Kumar Singh**

सचिव, ए0 के0 सिंह कॉलेज, जपला
(अवधेश कुमार सिंह कॉलेज)
निदेशक, भूमि विकास बैंक (बिहार–झारखण्ड)
निदेशक, बिहार हाउसिंग को–ऑपरेटिव फेडरेशन लि.

Ref. S/19/25 Date 18.07.2025

प्रेषक,

सचिव,
ए0 के0 सिंह कॉलेज,
जपला, पलामू।

सेवा में,

कुलसचिव,
नीलाम्बर–पीताम्बर विश्वविद्यालय,
मेदिनीनगर, पलामू।

**विषय :– डॉ0 राम सुभग सिंह के स्थान पर डॉ0 आनन्द कुमार को नियुक्त करने पर विचार हेतु शासी निकाय से सम्मति के लिए समय प्रदान करने के संबंध में।**

**प्रसंग :– भवदीय पत्रांक NPU/R/489/25, दिनांक 18.07.25 एवं पत्रांक NPU/R/494/25, दिनांक 18.07.25**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक सविनय कहना है कि गहन विचार–विमर्श और माननीय सांसद, पलामू –सह–अध्यक्ष, शासी निकाय की सम्मति लेकर मैंने वरिष्ठतम और योग्यतम शिक्षक डॉ0 राम सुभग सिंह को प्राचार्य पद पर नियुक्त किया था। जहाँ तक डॉ0 राम सुभग सिंह से संबंधित शिकायत/आरोप का संबंध है, तो महाविद्यालय या शासी निकाय के समक्ष कोई भी मामला लंबित नहीं है। सभी का निस्तारण हो चुका है और डॉ0 सुभग निर्दोष साबित हुए हैं।

चूँकि भवदीय का निर्देश डॉ0 आनन्द कुमार को प्रभारी प्राचार्य/प्राचार्य पद पर तत्काल नियुक्त करने का है; तो विनम्रतापूर्वक कहना है कि यह शासी निकाय के विशेषाधिकार का हनन है। समय–सीमा का जिक्र न होने के कारण हमने तुरन्त Compliance नहीं किया। इसके अलावा, डॉ0 आनन्द कुमार की योग्यता नियुक्ति के समय मात्र PG उत्तीर्ण थी, जो कि JSU Act 2000 का उल्लंघन है। इसलिए इनकी नियुक्ति ही अवैध है। ये प्रभारी प्राचार्य पद के लिए उपयुक्त नहीं हैं। निवेदन है कि इस संवेदनशील मुद्दे के विवादरहित समाधान के लिए शासी निकाय की बैठक में ही निर्णय लेना नियमसंगत एवं उचित होगा।

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि आपके निर्देश के अनुपालन के लिए शासी निकाय की बैठक बुलाने हेतु मुझे अधिकतम 15 दिन का समय प्रदान करने की कृपा की जाये।

विश्वासभाजन

Praful
18/7/2025

**(प्रफुल कुमार सिंह)**
**सचिव**
**ए0 के0 सिंह कॉलेज,**
**जपला, पलामू।**

18.07.25